रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/अग्रहायण 22, 1941
No. 721] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

सं. 68/2019- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 924 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 48 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(4) बीजक को, सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्ट सूचना को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुये, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदर्भ संख्या प्राप्त करने के पश्चात **प्ररूप जीएसटी आईएनवी-01** में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सम्मिलित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उपनियम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारी किया है, को बीजक नहीं माना जाएगा ।

(6) उपनियम (1) और (2) के उपबंध उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे ।"।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट**,** अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 845(अ), तारीख 14 नवंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 56/2019 – केन्द्रीय कर, तारीख 14 नवंबर, 2019 के माध्यम से किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(**Department of Revenue**)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

No. 68/2019 – Central Tax

G.S.R. 924(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(4) The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, by including such particulars contained in **FORM GST INV-01** after obtaining an Invoice Reference Number by uploading information contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification.

(5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.

(6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub-rule (4).".

[F. No. 20/13/01/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R. 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 56/2019 - Central Tax, dated the 14th November, 2019, published vide number G.S.R. 845 (E), dated the 14th November, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

सं. 69/2019- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 925 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का नियम 48 का उपनियम (4) तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों में बीजक तैयार करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:--

(i) www.einvoice1.gst.gov.in;
(ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
(iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
(iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
(v) www.einvoice5.gst.gov.in;
(vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
(vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
(viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
(ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
(x) www.einvoice10.gst.gov.in.

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों से माल और सेवा कर नेटवर्क, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित है, द्वारा व्यवस्थित वेबसाइट अभिप्रेत हैं।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

No. 69/2019 – Central Tax

G.S.R. 925(E).—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule(4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby, notifies the following as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for the purpose of preparation of the invoice in terms of sub-rule(4) of rule 48 of the aforesaid rules, namely:-

(i) www.einvoice1.gst.gov.in;
(ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
(iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
(iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
(v) www.einvoice5.gst.gov.in;
(vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
(vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
(viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
(ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
(x) www.einvoice10.gst.gov.in.

Explanation.-For the purposes of this notification, the above mentioned websites mean the websites managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.

[F. No. 20/13/01/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

सं. 70/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 926 (अ).—केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त नियम के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों के अनुसार, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल व सेवा या दोनों की आपूर्ति हेतु, बीजक तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

No. 70/2019 – Central Tax

G.S.R. 926(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) to rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

3. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.

[F. No. 20/13/01/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

सं. 71/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 927 (अ).—केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफ़ारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम 2019, के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो अधिसूचना संख्यांक 31/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019 द्वारा बनाया गया, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 457(अ)

तारीख 28 जून, 2019, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, 1 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट**,** अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

No. 71/2019 – Central Tax

G.S.R. 927(E).—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Central Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019, made vide notification No. 31/2019 – Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 457(E), dated the 28th June,2019, the Government, on the recommendations of the Council, hereby appoints the 1st day of April, 2020, as the date from which the provisions of the said rule, shall come into force.

[F. No. 20/13/01/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

सं. 72/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 928(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड होगा:

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर मे भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट हैं, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी 2 सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, **2020** को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट**,** अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

No. 72/2019 – Central Tax

G.S.R. 928(E).—In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Government, on the recommendations of the

Council, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Quick Response (QR)code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.

[F. No. 20/13/01/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.